

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

मैनुअल नं.76 / प्रा.पत्र / 2024

20.08.2024

11.03.2025

(GCMS No. 2024 / 125)

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

- 1.महावीर पुत्र नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, तह.तालेडा
- 2.इन्द्रा पुत्री नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, तह.तालेडा
- 3.कैलाश पुत्री नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, तह.तालेडा
- 4.धापू पुत्री नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, तह.तालेडा
- 5.पार्वती पुत्री नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, तह.तालेडा
- 6.गोपाली पत्नी नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, (विलोपित)
- 7.मोहनी पत्नी नाथू जाति कामड निवासी लाम्बाखोह, (विलोपित)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी नाथू को किये गये भूमि आवंटन
खसरा संख्या 560/803 रकबा 1.4164 हैक्टेयर वाकेग्राम लाम्बाखोह आवंटन
आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम
14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के
अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर: बून्दी



प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 76/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/125 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थिया गोपाल, मोहनी पत्नी नाथू के फोट हो जाने एवं उनके वारिसान पहले से ही प्रार्थना पत्र पर पक्षकार बने होने से इनका नाम विलोपित किया गया। अप्रार्थी महावीर जय्य अधिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित न्यायालय आया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 17.02.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काशत नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर बाड़े बने हुए है एवं शेष भूमि पर छोटे पत्थर डले हुये है। मौके पर उक्त भूमि में अन्य व्यक्तियों के कब्जे है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि नाथू आ. पेमा जाति कामड निवासी लाम्बाखोह को दिनांक 29.11.1975 को भूमि खसरा सं. 560/803 रकबा 8 बीघा 15 बिसवा वाकेग्राम लाम्बाखोह का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम लाम्बाखोह की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 560/803 रकबा 1.4164 हैक्टयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर बाड़े बने हुये है एवं उक्त भूमि पर छोटे पत्थर डले हुये है। मौके पर उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे है। मौके पर आवंटी के वारिसानों का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है, अंकित है। खसरा गिरदावरी खरीफ (सियाबू) संवत 2079 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पडी हुई है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है।



af
जिला न्यायालय बुंदी

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नाथू आ. पेमा जाति कामड निवासी लाम्बाखोह को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 560/803 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा वाकेग्राम लाम्बाखोह (हाल रकबा 1.4164 हेक्टेयर) दिनांक 29.11.1975 एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अक्षय गोदारा)
जिला न्यायाधीश, बुंदी
जिला कोर्ट, बुंदी